

राजस्थान सरकार
निदेशालय, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ-6 (आई.)आ.जा./निरी./प्रगति सूचना/2025-26/

दिनांक

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (अंकेक्षण) विभाग,
शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- निरीक्षण विभाग से सम्बन्धित आंतरिक जाँच प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों की
मासिक प्रगति माह अप्रैल, 2025 बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक प. 6(1) वित्त/अंकेक्षण/2011 दिनांक 21.05.2013 के
क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित आंतरिक
जाँच के प्राप्त प्रतिवेदन एवं गठित आक्षेप तथा बन्द किये गये प्रतिवेदन एवं आलौच्य माह में
निरस्त किये गये अनुच्छेदों का माह अप्रैल, 2025 तक का मासिक प्रगति विवरण पत्र के साथ
संलग्न प्रेषित है।

भवदीय

— Sd —
(रामेश्वर परसोया)
अतिरिक्त निदेशक
(अंकेक्षण)

क्रमांक :- एफ-6 (आई.)आ.जा./निरी./प्रगति सूचना/2025-26/10007 दिनांक 5-5-25

प्रतिलिपि:-संस्थापन अनुभाग/सूचना सहायक मुख्यालय को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचना
संलग्न प्रेषित है।


अतिरिक्त निदेशक
(अंकेक्षण)

राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
वर्ष 1980 से 2025-26 में आंतरिक जाँच प्रतिवेदनों के बकाया की स्थिति

(क) प्राप्त/जारी किये गये प्रतिवेदन

वर्ष	कुल प्राप्त/जारी प्रतिवेदन	कुल अनुच्छेद
वर्ष 1980 से 31.03.2025 तक का शेष	5323	73068
अप्रैल, 2025	4	55
योग (क)	5327	73123

(ख) बन्द किये गये प्रतिवेदन एवं निरस्त हुए अनुच्छेद

वर्ष	बन्द प्रतिवेदन	कुल निरस्त अनुच्छेद
4/1980 से 31.03.2025 तक का शेष	1886	49954
अप्रैल, 2025	9	137
योग (ख)	1895	50091
01.05.2025 को शेष (क-ख)	3432	23032


लेखाधिकारी
(आंतरिक जाँच)

राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।

अप्रैल, 2025 को आंतरिक जाँच प्रतिवेदनों की स्थिति

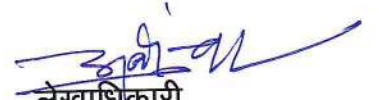
(क) प्राप्त एवं जारी किए गये प्रतिवेदन

वर्ष	कुल गठित व जारी प्रतिवेदन	कुल अनुच्छेद
01.04.2025 को प्रारंभिक शेष	5323	73068
माह अप्रैल 2025 में गठित नवीन प्रतिवेदन एवं अनुच्छेद	4	55
योग (क)	5327	73123

(ख) बन्द किये गये प्रतिवेदन एवं निरस्त हुए अनुच्छेद

वर्ष	कुल बन्द प्रतिवेदन	कुल निरस्त अनुच्छेद
01.04.2025 को प्रारंभिक शेष	1886	49954
माह अप्रैल 2025 में बन्द प्रतिवेदन एवं निरस्त अनुच्छेद	9	137
योग (ख)	1895	50091

01.05.2025 को बकाया प्रतिवेदन एवं अनुच्छेद (योग क-ख)	3432	23032
--	------	-------


लेखाधिकारी
(आंतरिक जाँच)